ाना चाहते हैं

लक्ष्य है जबकि 7.25 फीसदी पुलिस में जाने की इच्छा ...र्ट के मुताबिक इसके अलावा बच्चे पैरामेडिकल कर्मी बनना जबकि 4.11 फीसदी बच्चे ी अपना पेशा बनाने के पक्ष में ल बीएमसी ने कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के प्रयास के तहत शहर के एनजीओ अंतरंग के साथ हाथ मिलाया और उन्हें कॅरियर काउंसलिंग प्रदान करना शुरु किया। अधिकारी ने कहा कि कॅरियर काउंसलिंग के परिणामों को बच्चों के अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत तौर पर साझा किया गया।

- पीटीआई

छूट उपबंध या छूट अधिसूचना के मानदंडों के अंतर्गत आता है।

पीठ के अन्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायाधीश आर भानुमति, न्यायाधीश एमएम शांतानागोदार तथा एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

संविधान पीठ ने 1997 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के आदेश को पलट दिया। उस समय पीठ ने सन एक्सपोर्ट कारपोरेशन बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बाम्बे के बीच के विवाद में व्यवस्था दी थी कि कर छूट प्रावधान में अगर कोई संदेह पैदा होता है तो इसे करदाता के पक्ष

स्कूल में ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा से जुड़ी परीक्षाओं और सरकारी परीक्षाओं में भी बढ़ रहे हैं। बयान में कहा गया कि 'प्रोक्टरट्रैक' निरंतर और भरोसेमंद नतीजे हासिल करने के लिए मानवीय मौजूदगी की आवश्यकता को खत्म करता है, इस वजह से कई प्रोक्टर्ड टेस्ट किसी भी समय, किसी भी जगह, ऑन डिमांड लिए जा सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रोग्राम और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस की ईमानदारी को बनाए रखने में मदद करते हैं।

-आईएएनएस

खोरी- रोधी मामले में स्पष्ट दिशानिर्देश की र, ई-वे बिल की सीमा बढ़ाने की जरूरत

गठन सीआईआई ने परिषद (जीएसटी हा है कि उसे मुद्दे पर स्पष्ट रने चाहिये। इसके कि राज्य के भीतर ये ई-वे बिल लेने र एक लाख रुपये ये।

द को भेजे एक ई ने कहा है कि टर्न-1 सुविधा को खोला जाना चाहिये वस्था से जीएसटी दौरान अपने पुराने ावा कर सकें। कई का पहले लाभ नहीं

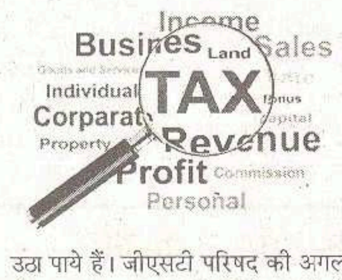

उठा पाये हैं। जीएसटी परिषद की अगली बैठक चार अगस्त को होने वाली है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत मुनाफाखोरी- रोधी प्रावधान को पहली बार पेश किया गया है, लेकिन इसमें जीएसटी के तहत लाभ की गणना करने को लेकर कोई कार्य प्रणाली तय नहीं की गई है। इससे आने वाले समय में विवाद और जटिलतायें बढ़ सकतीं हैं। यह एक प्रकार से कारोबार सुगमता के सिद्धांत के भी खिलाफ है। उद्योग मंडल ने यह भी मांग की है कि राज्य के भीतर ही माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के वास्ते ई-वे बिल की आवश्यकता को एकमुश्त बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया जाना चाहिये। सीआईआई का कहना है कि कुछ राज्यों ने राज्य के भीतर ही माल परिवहन के लिये ई-वे बिल की अनिवार्यता को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया है, इसे पूरे देश में बढ़ाने की जरूरत है। यहां तक कि एफएमसीजी, किराना उत्पादों की आपूर्ति में भी काफी परेशानी आ रही है और कई व्यापारियों को समस्य आ रही है।

- एजेंसी

टर्स गिल्ड ने डेटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे का स्वागत किया

नयी दिल्ली। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डेटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे का यह कहते हुए स्वागत किया कि उसमें पत्रकारों से संबंधित प्रावधान मीडिया पेशेवरों को अपने दायित्व के निर्वहन के दौरान संवेदनशील और गैर संवेदनशील निजी डेटा के उपयोग की इजाज्त देते हैं। डेटा उल्लंघन के मामलों में तीव्र वृद्धि के बीच पिछले हफ्ते इस नये कानून में प्रस्ताव किया गया कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक एवं राजनीतिक सोच, यौनसंबंधी झुकाव जैसी निजी सूचनाओं पर गौर करने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति लेना जरुरी है। निजी डेटा सुरक्षा विधेयक 2018 का मसौदा निजी आंकड़ों के सीमापार स्थानांतर पर पाबंदी तथा शर्तें लगाता है तथा निजी सूचनाओं के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का सुझाव देता है। यह मसौदा पिछले साल सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है जिसके अगुवा न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह निजी डेटा सुरक्षा विधेयक 2013 में पत्रकार संबंधी विशिष्ट प्रावधानों का स्वागत करता है क्योंकि प्रावधान मीडिया पेशेवरों को अपने दायित्व के निर्वहन के दौरान संवेदनशील और गैर संवेदनशील निजी डेटा के उपयोग की इजाजत देते हैं। हालांकि श्रीकृष्णा मसौदा कहता है कि पत्रकारों को भारतीय प्रेस परिषद या अन्य किसी मीडिया स्वनियामक संगठन की नीति संहिता का पालन करना होगा।

ेयर बाजार सूचकांक

	Last Trade	Change (%)
	22,553.72	0.04
	3,319.85	0.38
	28,583.01	-0.53
	11,057.51	0.22
	5,936.44	-1.54
ite	2,876.40	0.26
	-	-
	-	-
	-	-
	12791.95	- 0.05
	5495.71	+ 0.08
	7722.33	+ 0.28

् 06:00 बजे तक के हैं)

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

(पूर्व में बीएफएल डवलपर्स के रूप में जानते हैं)

पंजीकृत कार्यालय : 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018877

E. : bfldevelopers@gmail.com, W.: www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 09 अगस्त, 2018 गुरूवार को सायं 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षितवित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और लेखा परीक्षण जाँच के लिए रिकॉर्ड में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bflfin.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
सीएस सुरभि रावत
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 31 जुलाई, 2018
स्थान : जयपुर

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)

CIN: L67120RJ1993PLC061489, फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062

वेबसाईट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

26 वीं वार्षिक साधारण सभा बुकक्लोजर तथा रिमोट ई-मतदान सूचना का सदस्यों को नोटिस

कम्पनी द्वारा यह नोटिस जारी किया जाता है कि

1. कम्पनी की 26वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक सोमवार, 27 अगस्त 2018 को अपरान्ह 3:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान) पर आयोजित की जायेगी जिसमें वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित बिन्दुओं पर कार्य सम्पन्न होगा, जो 07 जुलाई 2018 को जारी किया गया है।
2. कंपनी के जिन सदस्यों के ई-मेल आई डी कंपनी या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के यहां पंजीकृत है, उन्हें एजीएम सूचना तथा वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रोनिक प्रतियां भेजी जा चुकी है। यह डॉक्यूमेंट कम्पनी की वेबसाईट www.shrikalyan.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना एवं वित्त वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर प्रेषित की जा चुकी है। एजीएम सूचना प्रेषण का काम 31 जुलाई 2018 को पूरा कर लिया गया है।
3. जिन सदस्यों के पास कंपनी के शेयर भौतिक रूप में या डीमेट फार्म में कट-ऑफ डेट यानी 20 अगस्त 2018 को है, वे लोग एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड द्वारा संचालित ई-वोटिंग सिस्टम के जरिये ई-वोट कर सकते है। एजीएम की जो सूचना प्रेषित की गई है, उसमें रिमोर्ट ई-वोटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी है। यहाँ सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:-
   - (i) एजीएम सूचना नोटिस के जरिये जो कार्य तय किया गया है, उसका निष्पादन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग के जरिये होगा।
   - (ii) रिमोर्ट ई-वोटिंग की अवधि गुरूवार, 23 अगस्त 2018 को प्रात: 10 बजे प्रारम्भ होगी।
   - (iii) रिमोर्ट ई-वोटिंग रविवार, 26 अगस्त 2018 सायं 5 बजे समाप्त हो जायेगी।
   - (iv) इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा अथवा एजीएम में मतदान करने की योग्यता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट सोमवार, 20 अगस्त 2018 है।
   - (v) रविवार, 26 अगस्त 2018 की शाम 5 बजे उपरान्त ई-वोटिंग स्वीकार्य नहीं होगी.
   - (vi) जिस व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में शेयर धारक के रूप में कट-ऑफ डेट यानी 20 अगस्त 2018 तक पंजीकृत है तथा जो एजीएम का नोटिस मिलने के बाद कंपनी के सदस्य बने हो और कंपनी के शेयर प्राप्त किये हो वे shrikalyan25@hotmail.com पर ई-मेल कर अपना लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर लें और जिसके पास सीडीएसएल से जारी लॉगिन आईडी व पासवर्ड है, वह उसका उपयोग कर अपना वोट डाल सकते हैं।
   - (vii) सदस्य ध्यान दें:
     (ए) रिमोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल 26 अगस्त 2018 की शाम 5 बजे बाद बंद कर दिया जायेगा। वोट एक बार डाले जाने के बाद परिवर्तित नहीं होगा। (बी) जो लोग बेलेट से वोटिंग करना चाहे, उनके लिए एजीएम में सुविधा उपलब्ध होगी। (सी) जो लोग पहले से ही ई-वोटिंग कर चुके है, वह कंपनी के एजीएम में हिस्सा ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से वोट करने का अधिकार नहीं रहेगा। (डी) वोट का अधिकार सिर्फ उसी को रहेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में सदस्य के रूप में पंजीकृत है या शेयर धारक की ओर से जिसका नाम पंजीकृत करवाया गया है।
   - (viii) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.shrikalyan.com पर तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
   - (ix) ई-वोटिंग को लेकर किसी सदस्य को यदि कोई जानकारी चाहिए तो वह https://www.evotingindia.com की वेबसाईट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्यूशन विकल्प और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल फॉर मेम्बर्स पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है या फिर टोल फ्री नं. 18002005533 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा कंपनी सचिव नंदिनी पाटीदार से कंपनी कार्यालय श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड, बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 राजस्थान पर या उनके फोन नं.: +91-7340028655 पर या ई-मेल आई डी shrikalyan25@hotmail.com पर सम्पर्क कर सकता है।
4. एजीएम के कारण कंपनी की सदस्यता एवं शेयर ट्रांसफर बुक गुरूवार, 21 अगस्त 2018 से सोमवार, 27 अगस्त 2018 तक बंद रहेगी।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./-
नंदिनी पाटीदार
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान: जयपुर
दिनांक : 31 जुलाई, 2018